



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-392/2022

दिनांक- 27-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- तरवां

मारपीट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 25.11.2022 को श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 मंगली यादव निवासिनी ग्राम महुवारी मठिया थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 24.11.2022 को वादिनी का लड़का प्रदीप यादव पुत्र स्व0 मंगली यादव को सम्भुपुर बाजार थाना मेहनगर से वापस आते समय ग्राम फतेहपुर भटौली के पास विपक्षी 1.सूरज राम पुत्र धरमू राम सा0 पित्थौरपुर उसरी थाना मेहनागर जनपद आजमगढ़ 2. विक्की राम पुत्र विजयनाथ राम सा0 महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के लड़के को गाली गलौज देना मना करने पर गाली देते हुए लात घुसा व लाठी से मारना जिससे सर में चोट लगने के कारण प्रदीप यादव को मौके पर बेहोश हो गया तथा जान से मारने की दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 326/2022 धारा 308/323/504/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी की विवरण- .. दिनांक- 27/11/2022 उ0 नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.सूरज राम पुत्र धरमू राम सा0 पित्थौरपुर उसरी थाना मेहनागर जनपद आजमगढ़ 2. विक्की राम पुत्र विजयनाथ राम सा0 महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को महुवारी पानी टंकी के पास तिराहे के पास समय करीब 10.15 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस का डण्डा बरामद किया गया। अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 326/2022 धारा 308/323/504/506 थाना तरवां, आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सूरज राम पुत्र धरमू उर्फ धर्मदेव राम सा0 पित्थौरपुर उसरी थाना मेहनागर जनपद आजमगढ़ उम्र- करीब 25 वर्ष

2. विक्की उर्फ प्रदीप राम पुत्र विश्वनाथ राम ग्राम महुवारी बस्ती थाना तरवां आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी- 1. एक मोटा बास का डण्डा लम्बाई करीब पाँच फीट दो इंच

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह थाना तरवां, आजमगढ़ ।

थाना सरायमीर

फर्जी खाता खोलकर किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर 08 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; पूर्व में 05 अभियुक्त हुये थे गिरफ्तार ।

➡ दिनांक- 02.11.2019 को वादी लाल बहादुर पुत्र राममूरत निवासी खारौटी, थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादी के नाम फर्जी खाता खोलकर फर्जी फोटो लगाकर व फर्जी दस्तखत करके 08 लाख रुपया का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर सिडिकेट बैंक शाखा सरायमीर के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से रुपया निकाला गया।

➡जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर 04 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0- 245/19 धारा 416/419/420/ 467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था।

➡विवेचना के दौरान 03 अभियुक्त प्रकाश में आये तथा मुकदमा उपरोक्त में कुल 07 अभियुक्त है।

➡मुकदमा उपरोक्त में 05 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया व 01 अभियुक्त का मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में स्थगन आदेश है।

➡दिनांक- 27.11.2022 को उ0नि0 विरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित (शेष एक) अभियुक्त अशोक आनन्द पुत्र जगदीप नारायण साहू सा0 पाली थाना घनश्यामपुर जनपद दरभंगा प्रदेश बिहार को सरायमीर रेलवे स्टेशन रोड के पास से समय 11.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 245/19 धारा 147/416/419/420/467/468/471 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अशोक आनन्द पुत्र जगदीप नारायण साहू सा0 पाली थाना घनश्यामपुर जनपद दरभंगा प्रदेश बिहार

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार का0 सुधांशु सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

थाना- निजामाबाद

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 26.11.2022 को वादिनी थाना निजामाबाद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादिनी की पुत्री के साथ विपक्षी शनि सोनकर पुत्र जंगली सोनकर निवासी पुराना गोला थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर अवैध सम्बन्ध बनाया गया व अश्लील फोटो वीडियो वायरल किया गया तथा शादी करने को कहने पर मना करते हुये गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी, के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 495/22 धारा 376/504/506/354 भादवि व 67 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

2. गिरफ्तारी का विवरण –दिनांक- 27.11.2022 को निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराहीयान के मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त शनि सोनकर पुत्र जंगली सोनकर निवासी पुराना गोला थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को बढ़या मोड़ के पास से समय करीब 12.30 दिन में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1-मु0अ0सं0 495/22 धारा 376/504/506/354 भादवि व 67 आईटी एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास – उपरोक्त अभियोग

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शनि सोनकर पुत्र जंगली सोनकर निवासी पुराना गोला थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराह थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना निजामाबाद

गैंगेस्टर एक्ट में एक गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक- 09.11.2022 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार यादव द्वारा थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण 1 अमान उल्लाह पुत्र तौफीक 2- मो. अहमद पुत्र तौफीक 3- अशरफ पुत्र स्व0 अब्दुल्ला निवासीगण फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ 4- एजाज अहमद पुत्र इरशाद 5- रहमान पुत्र स्व0 तकी निवासीगण परसहाँ थाना निजामाबाद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 474/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 27.11.2022 को उ0नि0 नवल किशोर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अशरफ खान पुत्र अब्दुल्ला खान निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को फरिहा चौराहे के पास से आज समय करीब 11.30 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 474/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0- 137/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना निजामाबाद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अशरफ खान पुत्र अब्दुल्ला खान निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 नवल किशोर सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद, जनपद-आजमगढ़ ।

थाना- मेंहनगर

मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- वादी श्री जय प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रशेखर सिंह ग्राम गुरेहथा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 26.11.22 समय 9.30 बजे सुबह रास्ते के विवाद को लेकर विपक्षी विजयभारत सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, लक्की उर्फ राजीव सिंह पुत्र स्व0 विजय प्रताप सिंह, मनी उर्फ आशुतोश सिंह, रितिक उर्फ

इन्द्रजीत सिंह पुत्र विजयभारत सिंह विककी उर्फ संजीव सिंह पुत्र लालबहादुर सिंह सन्नी उर्फ शैलेश सिंह पुत्र लालबहादुर सिंह समस्त निवासीगण गुरेहथा थाना मेहनगर आजमगढ़ ने एक एक राय होकर गाली गुप्ता देते हुए वादी व वादी की पत्नी माधुरी सिंह पुत्री प्रियंका सिंह, पुत्र प्रवीण सिंह को घर में घूसकर टांगी के बट से व डण्डे से मारने पीटने लगे जिससे वादी की पुत्री के सिर में गम्भीर चोट आई और जिससे मौके पर ही बेहोश हो गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 361/22 धारा 34/323/504/506/452/308 भादवि बनाम अभियुक्त उपरोक्त के पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी की विवरण - उ.नि. सुभाष तिवारी मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.विजय भारत सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह, 2.विककी उर्फ संजीव सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह निवासीगण ग्राम गुरेहथा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को दिनांक 27.11.2022 को समय 12.15 बजे गिरफ्तार किया गया घटना में प्रयुक्त लाठी डण्डा को घटना स्थल से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु.अ.सं. 361/22 धारा 34/323/504/506/452/308 भादवि थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.विजय भारत सिंह पुत्र स्व0 विश्वनाथ सिंह,

2.विककी उर्फ संजीव सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह निवासीगण ग्राम गुरेहथा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

1-घटना में प्रयुक्त दो अदद लाठी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ.नि. सुभाष तिवारी मय हमराह थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ।